

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार निम्नांकित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/ 20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	श्री उत्तम कुमार जैन	सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य	20-05-1962	3/7/1986	30 3/7/2016	3/7/2016	Grade pay 6800

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।
- 2 उक्त वर्णित कार्मिकों में से किसी का स्थानान्तरण पर पदस्थापन स्थान परिवर्तन हो गया है तो सम्बन्धित नवीन नियन्त्रण अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिन्दु संख्या 01 की कार्यवाही सूनिश्चित करेंगे।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/उत्तम कुमार/2022

दिनांक : 25-7-2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, दौसा।
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बांदीकुई दौसा।
- 3 प्रधानाचार्य, राउमावि, झांझीरामपुरा पं.स. बांदीकुई जिला दौसा।
- 4 श्री उत्तम कुमार जैन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि झांझीरामपुरा पं.स. बांदीकुई जिला दौसा।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 गार्ड फंजिका

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर